प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.11.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 आभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 11.11.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा शिप्रा मॉल कट पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दिल्ली की तरफ से आ रहा है, जिसके पास अवैध असलाहा है, जो किसी घटना करने की फिराक में है, यदि कोशिश की जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना के आधार पर शिप्रा मॉल कट पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त मोन्टी उर्फ अमन पुत्र संजय गौतम निवासी नीरज का मकान राजवीर कॉलोनी कैप्टन मार्किट गाजीपुर दिल्ली मूल पता हुरतला सलेमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त मोन्टी उर्फ अमन के विरुध्द धारा 3,25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त मोन्टी उर्फ अमन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मोन्टी उर्फ अमन अपने पास अवैध तमंचा रखता था। इस तमंचा के बल पर चोरी की घटना को अंजाम देता था। अभियुक्त चोरी की घटना कारित करने के उद्देश्य से शिप्रा मॉल कट के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोन्टी उर्फ अमन पुत्र संजय गौतम नि0 नीरज का मकान राजवीर कॉलोनी कैप्टन मार्किट गाजीपुर दिल्ली मूल पता हुरतला सलेमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त मोन्टी उर्फ अमन उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 02 अभियोग स्नैचिंग, 01 अभियोग मुठभेड़, 01 अभियोग आर्मस एक्ट व थाना खोड़ा पर 01 अभियोग बरामदगी कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.11.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त शिवम पुत्र चमन द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.11.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र चमन सिंह निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही से आलाकत्ल कांच की बोतल बरामद की गयी है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) व 238 बीएनएस की बढौत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक विक्की मेरा दोस्त था जो मेरी बहन से बात करता था। इसलिये मैंने व मेरे दोस्त शिवम ने उसे शराब व गांजा पिलाकर कलछीना -सीकरी रोड पर ट्यूवबेल के पास शराब की बोतल को तोड़कर उसके गले तथा छाती पर वार कर दिया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी तथा बोतल को हमने वही ईंख के खेत में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम पुत्र चमन सिंह निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पुत्र हरीशचन्द निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।